न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 73/2017

1. पूर्णराम पुत्र कुंभाराम जाति जाट निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
2. जगदीश पुत्र कुंभाराम जाति जाट निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।

--- अपीलार्थीगण

बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़। --रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0अ01956

विरूद्ध आदेश अतिरिक्त कलेक्टर सूरतगढ

दिनांक 11.07.2017 एवं तहसीलदार सूरतगढ दिनांक 16.09.2015

उपस्थितिः–

श्री अशोक छाबड़ा, अभिभाषक अपीलांट

श्री श्याम सुन्दर चांडक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :– 31.10.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा अपीलांट को ग्राम ठेठार के प.न.48 की 0.759है0 भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने एवं तावान राशि कायम करने के साथ–साथ पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कारण 3 माह की सिविल कारावास की सजा से दंडित करने के आदेश दिनांक 16.09.2015 को दिये गये । जिसके विरूद्ध अपीलांट ने अपील अति. कलेक्टर सूरतगढ के न्यायालय में पेश की जो दिनांक 11.07.2017 को अस्वीकार कर दी गई जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

31/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया अधी.न्यायालय ने एक साथ तीन आदेश पारित किये है जो न्यायोचित नहीं है अपीलांट का कभी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का नहीं रहा है। अधी.न्यायालय ने पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर जो आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत नहीं है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें ।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर उसके विरूद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत कार्यवाही की गई एवं अपीलांट द्वारा पश्चातवर्ती कब्जा करने से उसे सिविल कारावा की सजा से दंडित करने के जो आदेश तहसीलदार ने दिये है वह उचित है एवं उसकी अपील अति.कलेक्टर ने खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावें ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील अधी.न्यायालय अति. जिला कलेक्टर सूरतगढ के निर्णय दिनांक 11.07.2017 के विरूद्ध द्वितीय अपील के रूप में की गई है जिसमें अधी.न्यायालय द्वारा तहसीलदार सूरतगढ का निर्णय दिनांक 16.09.2015 को यथावत रखते हुए अपीलांट को 3 माह के कारावास एवं लगान का 50 गुणा की शास्ती रूपये 77/– आरोपित के आदेश दिये है को अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्याय सिद्धान्त आरएलडब्लू 2014 (1)राज. पेज 612 पेश कर न्यायालय द्वारा सहानुभूति पूर्वक विचार करने का निवेदन किया वही न्याय सिद्धान्त आरआरडी 2009 पेज 548 पेश कर पुनः **Sympathatically Consideration** का अनुतोष चाहा । राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में जाहिर किया कि अपीलांट द्वारा किया गया अतिक्रमण

3/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

रेकार्ड से साबित एवं प्रमाणित है। अतः किसी कानून, न्याय नियम के तहत अपीलांट को Relief नहीं दी जा सकती। अतः अधी.न्यायालयों के निर्णयों को यथावत रखा जाये।

तहसीलदार सूरतगढ की रिपोर्ट कमांक राजस्व/2017/201 दिनांक 30.08.2017 के अनुसार अपीलांट का विवादित राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं हैं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों अनुसार अपीलांट का राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करना प्रमाणित है परन्तु अपीलांट एक काश्तकार है उसके प्रति सहानुभूति का रूख अपनाकर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर शास्ती यथावत रखते हुए सिविल कारावास की सजा इस शर्त के साथ निरस्त की जाती है कि अपीलांट इस आशय का शपथ पत्र तहसीलदार सूरतगढ को देवे कि वह न केवल इस विवादित राजकीय भूमि अपितु किसी भी राजकीय सम्पति पर भविष्य में अतिक्रमण नहीं करेगा तथा इस विवादित आराजी पर पुनः कब्जा करने की स्थिति में तहसीलदार सूरतगढ का आदेश दिनांक 16.09.2015 स्वतः ही Revive माना जाकर तहसीलदार सूरतगढ कार्यवाही करेगें।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

31/10/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर

राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर